

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रायबरेली।
आदेश संख्या 99/2020 दिनांक 12.07.2020

दिनांक 11.07.2020 को सायं लगभग 7.30 बजे श्री सिद्धार्थ सिंह, अपर जिला जज/प्रभारी न्यायालय सुरक्षा, जनपद न्यायालय, रायबरेली ने मोबाइल पर सूचित किया कि उन्हें श्री गोपालमणि मिश्र, उपनिरीक्षक, प्रभारी न्यायालय सुरक्षा चौकी, जिला न्यायालय थाना कोतवाली नगर, रायबरेली ने एक सूचना जरिये वाट्सअप इस आशय की प्रेषित की है कि न्यायालय सुरक्षा में सीसीटीवी कन्ट्रोलरूम में नियुक्त आरक्षी श्री हसीनुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी पुलिस लाइन रायबरेली जो लगातार सीसीटीवी कन्ट्रोलरूम में ड्यूटी कर रहे थे, दिनांक 11.07.2020 को कोविड-19 संक्रमित पाये गये हैं।

उपरोक्त सूचना के कम में आज दिनांक 12.07.2020 को दैनिक समाचार पत्रों में भी इस आशय के समाचार प्रकाशित हुये हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त न होने पर श्री सिद्धार्थ सिंह, अपर जिला जज/प्रभारी न्यायालय सुरक्षा, जनपद न्यायालय, रायबरेली के द्वारा डा0 अश्वनी चौधरी, नोडल अधिकारी कोविड-19, रायबरेली से मोबाइल पर वार्ता की गयी तो उन्होंने उपरोक्त आरक्षी श्री हसीनुद्दीन के कोरोना पाजिटिव होने की रिपोर्ट जरिये वाट्सअप प्रेषित की है। तत्पश्चात श्री मेराज अहमद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा श्री नित्यानन्द, अपर पुलिस अधीक्षक, रायबरेली से वार्ता की गयी। तदोपरान्त पुलिस अधीक्षक, रायबरेली के पत्रांक-कोविड-19/2020 दिनांकित 12.07.2020 द्वारा अपरान्ह 12.20 बजे उपरोक्त आरक्षी श्री हसीनुद्दीन के कोरोना पाजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है।


तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1117/LXXXVII- CPC/e-Courts दिनांकित 03.06.2020 व उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1431/2020/सी.एक्स.-3 दिनांकित 06.06.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में न्यायालय परिसर को पूर्णतः सैनेटाइज कराने हेतु तत्काल प्रभाव से अर्थात् दिनांक 12.07.2020 से दिनांक 13.07.2020 तक जनपद न्यायालय रायबरेली के समस्त न्यायालयों एवं कार्यालय को पूर्णतः बन्द किया जाता है। दिनांक 12.07.2020 को रविवार का अवकाश है। दिनांक 13.07.2020 दिन सोमवार के पश्चात दिनांक 14.07.2020 से सभी न्यायालय पूर्ववत् खुलेंगे।

जिलाधिकारी, रायबरेली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायबरेली सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को सैनेटाइज कराना सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि जनपद न्यायालय रायबरेली से सम्बन्धित ऐसे मामलों की सूचना यथाशीघ्र प्रेषित किया करे जिससे माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में त्वरित कार्यवाही की जा सके।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।


दिनांक 12.07.2020


(अनूप कुमार गौयल)
जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, रायबरेली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली।
- 5- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।
- 6- जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी/फौजदारी), जनपद न्यायालय, रायबरेली।
- 7- वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, रायबरेली।
- 8- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायबरेली।
- 9- जिला सूचना अधिकारी, रायबरेली।
- 10- सेन्ट्रल वार एसोसिएशन, रायबरेली।

दिनांक : 12.07.2020


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय,
रायबरेली।